

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 575.19 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,75,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2016-17 मौसम के लिए देय प्रीमियम अनुदान के भुगतान हेतु ₹ 787.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,87,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 4 से 5

केन्द्र प्रवर्तित नील क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 329.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष- 2406

मद क्रमांक 6 से 7

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवीन योजना ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन हेतु ₹ 190.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 से 9

विश्व बैंक सहायित नवीन योजना पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 190.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 10

कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत गत वर्ष के ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु ₹ 1888.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 11 से 12

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत ₹ 988.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 13

जिला-राजनांदगांव के 263 ग्रामों, जिला-जगदलपुर के 46 ग्रामों, जिला-सरगुजा के 15 ग्रामों, जिला-बलरामपुर के 39 ग्रामों, जिला-सूरजपुर के 200 ग्रामों, जिला-रायगढ़ के 3 ग्रामों एवं जिला-कोरबा के 22 ग्रामों में सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना (कुल अनुमानित लागत ₹ 11897.20 लाख) हेतु ₹ 5000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 14 से 15

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना अंतर्गत ₹ 348.08 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,48,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 16

भारत सरकार द्वारा आंबटित केप्टीव कोल ब्लॉक यथा गरेपालमा सेक्टर-III तथा गिदमुरी पतुरिया कोल ब्लॉक के विकास हेतु ₹ 33000.00 लाख का इक्विटी मद में व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 3,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4810**

**मद क्रमांक 17**

सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु ₹ 760.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 7,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 18 से 19**

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत ₹ 1358.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 13,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 20**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत ₹ 2500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 6408**

**मद क्रमांक 21**

नाबार्ड सहायता से निर्मित गोदाम की प्रतिपूति हेतु ₹ 844.53 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,44,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।